(ग) मच्छरों की उत्पत्ति पर काबू पाने के लिए दिल्ली के सभी क्षेत्रों में जिन में दिल्ली शहर, सदर और करौलबाग शामिल है मच्छर लार्वानाशक तेल अथवा उसके बदले बेटेक्स और पायरोसिन तेल मिश्रण आदि का उपयोग किया जा रहा है।

डेसू मजदूर संघ को मान्यता दिया जाना

1590. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (दिल्ली नगर निगम) में कितनी यूनियनें काम कर रही हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति ने संस्थान के डेसू मजदूर संघ को मान्यता प्रदान की थी ;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा पारित प्रस्ताव को संस्थान में अब तक लागू क्यों नहीं किया गया; और

(घ) क्या संस्थान के प्रबन्धक इस यूनियन को छोड़कर शेष सभी यूनियनों से बातचीत कर रहे हैं और यदि हां, तो इस भेद भाव के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) इस समय दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान (दिल्ली नगर निगम) में पांच मजदूर संघ नामतः (1) दिल्ली राज्य विद्युत् श्रमिक संघ, (2) दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड कर्मचारी संघ, (3) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान मजदूर कांग्रेस (4) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान मजदूर संघ और (5) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान वर्कचार्ज संघ, कार्य कर रहे हैं।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में, 'डेसू मजदूर संघ' के नाम कोई भी संघ विद्यमान नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रबन्धक दिल्ली राज्य विद्युत श्रमिक संघ, दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान मजदूर कांग्रेस के अनुरोध पर उन से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान मजदूर संघ की प्रार्थना पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रबन्धक विचार कर रहे हैं। इस तरह की कोई भी प्रार्थना अभी तक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान वर्कचार्ज यूनियन से प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली क्लाथ मिल में क्लर्कों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से छूट दिया जाना

1591. **श्री शिव नारायण सरसूनिया**: क्या संसदीय कार्य और श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्लाथ मिल के 1200 क्लर्कों की ओर से उनके मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन की धारा 88 के अधीन कर्मचारी बीमा योजना से छूट के लिए ज्ञापन दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन मध्यम श्रेणी के एवं गरीब लोगों को सुविधाएं देने के लिए क्या पग उठाए गए हैं ;

(ग) क्या इसके परिणाम स्वरूप इनमें से प्रत्येक कलर्क को हर मास 50 रुपए कम मिलते हैं क्योंकि दिल्ली क्लाथ मिल से चिकित्सा सुविधाएं एवं नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के रूप में वेतन का जो साढ़े चार प्रतिशत मिलता था, वह भत्ता बन्द हो गया है और इनके वेतन से कर्मचारी राज्य बीमा योजना ने उनके अंशदान के रूप में कटोती करना आरम्भ कर दिया है; और

(घ) उनको कर्मचारी राज्य बीमा योजना से छूट कब तक मिल जाएगी ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां । श्रम मंत्रालय में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार, किसी कारखाने का प्रतिष्ठान में नियोजित किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि कुल मिला कर इन कर्मचारियों को अधिनियम से मिलने वाले लाभों से बेहतर या यथार्थतः समान लाभ मिलते हों । इस मामले में डी० सी० एम० के लिपिकीय कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ (नकदी के रूप में तथा चिकित्सा सुविधाओं के रूप में) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत व्यवस्थित लाभों की अपेक्षा घटिया हैं और इस कारण वे छूट के पात्र नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Arrears of ESIS in Assam

1592. SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether the arrears of employees' contribution towards Employees' State Insurance Scheme are increasing in Assam; and

(b) the measures taken by Government against the defaulters?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information:—

(a) The arrears of Employees' State Insurance Contributions are decreasing.

(b) Prompt and timely action for recovery of dues under relevant provisions of the Employees' State Insurance Act, is taken against the defaulters and those who are persistent defaulters, are also prosecuted under Section 85 of the Act. Recourse is also taken to the levying of damages which also serves as a deterrent on the defaulting employers.

Popularisation of Homoeopathic system of medicine in Rural Areas

1593. SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to take any steps to popularise the Homoeopathic System of medicine in rural areas; and

(b) if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) and (b). Yes. Under the Rural Health Services Scheme, which is under consideration of the Government, it is proposed to import training in medical care also in homoeopathic system to the community health workers and to provide homoeopathic medicines where necessary in their kits alongwith medicines of other systems to be used for the community.